

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा-2025

शिविर- महापुरा

प्रकरण संख्या:- 86/2025

दिनांक:- 21/6/2025

उनवान

श्री रामराय पुत्र
मूलचन्द नि० महापुरा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का महापुरा भू अ. नि. जारपोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम महापुरा प० ह० महापुरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 13, 68, 194, 223, 249, 250, 251, 252 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	जाम शुद्धि	रामराय पुत्र मूलचन्द हि० जमाबन्दी मुमुना	रामराय पुत्र मूलचन्द हि० जमाबन्दी मुमुना

h

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिहिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री रामराय पुत्र मूलचन्द नि० महापुरा
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)